सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 153 राँची, बुधवार, 11 चैत्र, 1948 (श०) / 1 अप्रैल, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

05 मार्च, 2026

संख्या-5/आरोप-01-03/2016 का० 1358--उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-02/रा०, दिनांक- 02.01.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र में श्री लियाकत अली, झा०प्र०से०(को०क्र0-796/03), तत्कालीन अंचल अधिकारी, टण्डवा, चतरा के विरूद्ध अभिजीत इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, राँची के पक्ष में गलत जमाबंदी करने एवं बड़े पैमाने पर सरकारी भूमि का अवैध जमाबंदी करने संबंधी कुल 5(पाँच) आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं।

2. समीक्षोपरांत, श्री लियाकत अली के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया, जिस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। तदोपरांत विभागीय संकल्प संख्या- 11851(HRMS), दिनांक-27.11.2020 के द्वारा श्री लियाकत अली, झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक-796/03), तत्कालीन अंचल अधिकारी, टण्डवा, चतरा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

3. विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-101, दिनांक- 06.05.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री लियाकत अली के विरूद्ध प्रतिवेदित सभी आरोप प्रमाणित होता है, प्रतिवेदित किया गया है।

4. विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभागीय कार्यवाही के संचालन के दौरान दस्तावेजी साक्ष्यों को Exhibit, संबंधित गवाहों/ सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है।

5. माननीय झारखण्ड झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा कतिपय मामलों में विभागीय कार्यवाही / अनुशासनिक कार्यवाही के दौरान साक्ष्यों को Exhibit नहीं करने, साक्ष्यों का परीक्षण संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों से नहीं कराये जाने एवं आरोपी पदाधिकारी के द्वारा प्रतिपरीक्षण नहीं कराये जाने के कारण सरकार के द्वारा आरोपी सरकारी सेवक के विरूद्ध अधिरोपित शास्ति को निरस्त कर दिया जाता है।

6. अतः श्री लियाकत अली के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), नियमावली, 2016 के नियम-18(1) के आलोक में उक्त नियमावली के नियम-17 के तहत् पुनः जाँच करने तथा दस्तावेजी साक्ष्यों को Exhibit करने, संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण करने हेतु पुनः आगे जाँच किए जाने का निर्णय लिया गया है।

7. तदनुसार एतद् द्वारा श्री लियाकत अली को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर दस्तावेजी साक्ष्यों को Exhibit करने, संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण हेतु संचालित विभागीय कार्यवाही में शामिल हों तथा तत्संबंधी सूचना से इस विभाग को भी अवगत कराएँ।

8. श्री लियाकत अली के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में पुनः आगे जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री संजय सिन्हा, से०नि० भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी. गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

9. विभागीय संकल्प संख्या- 11851(HRMS), दिनांक-27.11.2020 के द्वारा श्री लियाकत अली के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता, चतरा को उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

10. विभागीय कार्यवाही से संबंधित मूल अभिलेख, श्री संजय सिन्हा, से०नि० भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी को वापस करते हुए अनुरोध है कि दस्तावेजी साक्ष्यों को Exhibit करने, संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण कराते हुए यथाशीघ्र जाँच प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

11. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबुरू,
सरकार के संयुक्त राचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 153 - 50